भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3341
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की कमी

†3341. **श्री अ. मनि:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में वर्तमान में शिक्षक-छात्र अनुपात क्या है और वैश्विक मानकों की तुलना में यह कितना है;
(ख) शिक्षकों की कमी के कारण उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता किस प्रकार प्रभावित हुई है;
(ग) क्या शिक्षकों की कमी ने राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों के प्रत्यायन अथवा रैंकिंग को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षण पदों पर योग्य पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए कोई प्रोत्साहन शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं, जो संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित किए जाते हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। ये संस्थान प्रासंगिक विनियमों और उनकी संविधियों के अनुसार विशिष्ट संकाय-छात्र अनुपात का पालन करते हैं। आईआईटी/आईआईएम/आईआईएसईआर/आईआईएससी/एसपीए के लिए आदर्श संकाय-छात्र अनुपात 1:10 माना गया है तथा आईआईआईटी/एनआईटी/आईआईईएसटी/अन्य केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों के लिए आदर्श संकाय-छात्र अनुपात 1:12 माना गया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक समान संकाय-छात्र अनुपात का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने-अपने सांविधिक निकायों द्वारा यथाअनुमोदित संकाय-छात्र अनुपात का पालन करते हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संकाय की भर्ती संस्थानों के भीतर ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती संबंधी शक्तियां संबंधित शासक मंडल (बीओजी)/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं और इसमें मंत्रालय की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है।

रिक्तियों का उत्पन्न होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थानों के खुलने, योजनाओं या परियोजनाओं तथा मौजूदा संस्थानों में छात्रों

की संख्या में वृद्धि और क्षमता के विस्तार संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

सीएचईआई द्वारा संकाय भर्ती प्रक्रिया बहु-चरणीय और सुदृढ़ जांच प्रक्रिया के भाग के रूप में, पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके की जाती है। विभिन्न संस्थानों के अधिनियमों और संविधियों में चयन समितियों की संरचना, विभिन्न स्तरों पर संकाय की भर्ती हेतु जिम्मेदार प्राधिकारियों, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों और कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित व्यक्तियों आदि का प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं, ताकि भर्तियों में पारदर्शिता और शैक्षणिक दृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक साझा पोर्टल 'सीयू-चयन' शुरू किया है, जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापन/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है, जिससे सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है।

शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रेरित किया था। सीएचईआई अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाते है। सितंबर 2022 से, सभी सीएचईआई ने एससी, एसटी और ओबीसी सहित रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान भी शुरू किया है। दिनांक 29.10.2024 तक, सभी सीएचईआई द्वारा मिशन मोड में 15,139 संकाय पदों सहित कुल 25,777 पद भरे गए हैं।

संस्थानों में प्रतिभाशाली शिक्षकों की भर्ती करने से न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होती है, साथ ही सीएचईआई की एनआईआरएफ़/क्यूएस रैंकिंग में भी सुधार होता है। क्यूएस रैंकिंग में, वर्ष 2014 से भारत के प्रदर्शन में, 1,500 से अधिक विश्वविद्यालयों में रैंक किए गए संस्थानों की संख्या के मामले में, 360% की वृद्धि देखी गई है, जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हालिया 2025 संस्करण के अनुसार 2014 में 10 से बढ़कर 2024 में 46 हो गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उद्योग और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके उच्च शिक्षा में बदलाव लाना है। इसके अलावा, एनईपी में व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और सीएचईआई में उद्योग-अकादमिक सहयोग को सुदृढ़ करने की भी सिफारिश की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" नामक पदों की नई श्रेणी के माध्यम से उद्योग और अन्य पेशेवर विशेषज्ञता को शैक्षणिक संस्थानों में लाने के लिए एक नई पहल की है। यूजीसी ने दिनांक 30.09.2022 को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त करने संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता आदि के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लाने तथा उद्योग और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार करने तथा सीएचईआई को उद्योग विशेषज्ञों के साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजना पर कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की अवधारणा को अपनाया गया है, और इस प्रकार छात्रों को विषय विशेषज्ञों द्वारा अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

*****